



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email:
eepmgsydehradun@rediffmail.com

पत्रांक 1261 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०, देहरादून / अनुरक्षण
सेवा में,

दिनांक 8/12/2023

अपर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून

विषय:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैडीखाता से नौरगाबाद मोटर मार्ग हेतु 1.603 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र सं०-०८बी/यू०सी०पी०/०६/२२७/२०१६/एफ०सी०/२३०१ दिनांक २७.०२.२०१९

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, कि अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.206 हे० ग्राम-मौजा बसचन्दपुर एवं दुधला दयालवाला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक संख्या 205/ जि०भू०व्य०सहा०-2021, दिनांक 02.12.2021 तथा पत्रांक संख्या 998/ जि०भू०व्य०सहा०-2023, दिनांक 23.03.2023 द्वारा वन विभाग के पत्र में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित की गयी है। संलग्न-01 प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। संलग्नक-02ए
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० की धनराशि उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गयी है। संलग्नक-02बी
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-03

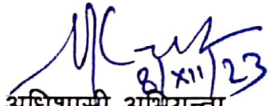
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA Cost, NPV etc को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की गयी है जिसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। संलग्नक-02ए, 02बी
5.	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-04

विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तें

6.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-05
7.	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-06
8.	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.206 ग्राम मौजा बसचन्दपुर एवं दुधला दयालवाला सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-07
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-08
10.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-09
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-10
12.	परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-11
13.	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-12
14.	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 29 से अधिक न हो।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-13

15.	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-14
16.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-15
17.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-16
18.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	वचन बद्धता संलग्न है। संलग्नक-17

संलग्नक:-01 से 17।

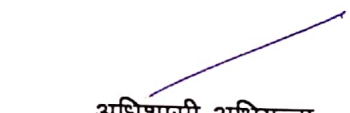

अधिशाली अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
6-इन्दिरा नगर, देहरादून

पत्राक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0-दे0दून / तदिनांक

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
6-इन्दिरा नगर, देहरादून

आदेश

अधिशारी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1402/पीएमजीएसवाई/सिंचाई/वन भूमि/दिनांक 17.12.2014 के द्वारा जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बछावरवादी में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य गैलीयाता से नौरंगाबाद में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु दोमूने क्षेत्रफल (3.026 हे०) की गिरिल भूमि डीएमपीओ वन विभाग, हरिद्वार को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमति किया गया है।

जिसके तमाम व उप जिलाधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त आख्या सं०-835/एसओडी-2015 दिनांक 10.02.2015 के अनुसार भूअवरोध गैलीयाता परगना नजीबाबाद सहरील व जिला हरिद्वार के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2015 के द्वारा बसोचन्दपुर के ख०न०-18/3म रकबा 0.177 हे०, ख०न०-28/2 रकबा 1.681 हे० कुल 02 किते क्षे०-1.858 हे० बंजर भूमि श्रेणी 5(3)(ड) ग्राम सभा भूमि पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत सड़क निर्माण ग्राम गैलीयाता से ग्राम नौरंगाबाद में वन विभाग को भूमि दिये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। उपरोक्त भूमि के अलावा ग्राम सभा गैलीयाता में वन विभाग को भूमि दिये जाने हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम सभा गैलीयाता से निकटवर्ती ग्राम सभा दूधलादयालवाला ख०सं०-369ग में रकबा 1.1348 हे० बंजर भूमि श्रेणी 5(3)(ड) ग्राम सभा भूअवरोध दूधलादयालवाला के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2015 के द्वारा पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत सड़क निर्माण ग्राम गैलीयाता से ग्राम नौरंगाबाद में वन विभाग को भूमि दिये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। इस प्रकार उपरोक्त ग्राम सभाओं में उपलब्ध भूमि वन विभाग हरिद्वार को दिये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। जिसका प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या-1410/जि०भू०व्य०सहा०/2014 दिनांक 13.02.2015 के द्वारा राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया।

प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र संख्या-08वी/यू०सी०पी०/ 06/ 227 / 2018 / एफ०सी०/2301 दिनांक 27.02.2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गैलीयाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.603 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सौद्धान्तिक रवीकृति प्रदान की गई है।

अतः वन विभाग की 1.603 हे० प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम बसोचन्दपुर के ख०न०-18/3म रकबा 0.177 हे०, ख०न०-28/2 रकबा 1.681 हे० कुल 02 किते क्षे०-1.858 हे० एवं ग्राम सभा दूधलादयालवाला ख०सं०-369ग में रकबा 1.1348 हे० भूमि हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

प्रमाणित
पंजीकृत
पत्रांक
दिनांक

(विनय शंकर पाण्डेय)
कलेक्टर
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, हरिद्वार।

संख्या:- 205/जि०भू०व्य०सहा०-2021

दिनांक:- 02-12-2021

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 3- सचिव, (वन) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 4- आयुक्ता, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 5- अधिशारी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, देहरादून
 - 6- उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।
 - 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, हरिद्वार।
 - 8- कार्यालय प्रति।

कलेक्टर,
हरिद्वार।

आदेश



अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-984/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०, दे०दून दिनांक 29 अगस्त, 2022 एवं अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त, लो०नि०वि०, मसूरी के पत्र संख्या-2955/14याता- पी०एम०जी०एस०वाई०/22 दिनांक 12.12.2022 के जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादुराबाद में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य गैण्डीखाता से नौरंगाबाद में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु दोगुने क्षेत्रफल 3.206है० के सापेक्ष शेष भूमि 0.2132है० सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय के आदेश संख्या-205/जि०भू०व्य०सहा०-2021 दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के द्वारा वन विभाग की 1.603है० भूमि के बदले ग्राम बसोचन्दपुर के ख०नं०-18/3म रकबा 0.177है०, ख०नं०-26/2 रकबा 1.681है० कुल 02 किते क्षेत्र-1.858है० एवं ग्राम सभा दूधलादयालवाला ख०सं०-369ग में रकबा 1.1348है० कुल 2.9928है० भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

प्रकरण में उप जिलाधिकारी, हरिद्वार से आख्या प्राप्त की गई। उप जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या संख्या-1227/वरि०वै०सहा०-उ०जि०ह०/2022-23 दिनांक 03 फरवरी, 2023 एवं आख्या संख्या-1661/वरि०वै०सहा०-उ०जि०ह०/2022-23 दिनांक 17 मार्च, 2023 में वर्णित किया गया है कि ग्राम गैण्डीखाता से नौरंगाबाद में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु दोगुने क्षेत्रफल 3.206है० की सिविल भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ग्राम बसोचन्दपुर व ग्राम दूधलादयालवाला में कुल 2.9928है० भूमि का हस्तान्तरण के उपरान्त वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हो चुका है। वर्तमान में सिविल सोयम ग्राम सभा की भूमि वन विभाग के पक्ष में 0.2132है० भूमि हस्तान्तरण होना शेष है। ग्राम दूधलादयालवाला, परगना नजीबाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा संख्या-369ग का कुल क्षेत्रफल 4.4130है० है, जिसमें से पूर्व में 1.1348है० भूमि पूर्व में वन विभाग को हस्तान्तरण की जा चुकी है। वर्तमान में खसरा संख्या-369ग में शेष बची भूमि 3.2782है० में से क्षतिपूर्ति हेतु 0.2132है० भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु आख्या उपलब्ध कराई गई है।

प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/06/227/2016/एफ०सी०/2301 दिनांक 27.02.2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गैण्डीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.603है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की आख्या दिनांक 03 फरवरी, 2023 तथा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आधार पर वन विभाग की 1.603है० प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम सभा दूधलादयालवाला के ख०सं०-369ग की शेष बची भूमि 3.2782है० में से क्षतिपूर्ति हेतु 0.2132है० भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी/कलेक्टर
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, हरिद्वार।

संख्या:- ११० / जि०भू०व्य०सहा०-2023

दिनांक:- 23-3-2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- सचिव, (वन) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
- 6- उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।
- 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, हरिद्वार।
- 8- कार्यालय प्रति।

Shuman

[Signature]

[Signature]
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
हरिद्वार।



BHULEKH
Uttarakhand

भाषा चुने

Change

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रती

ग्राम का नाम : दुधलादयालवाला	पराना : (नजीबबाद)	तहसील : हरिद्वार	जनपद : हरिद्वार	फसली वर्ष : 1427-1432	भाग : 1	खाता संख्या : 00224
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अदेश	टिप्पणी	
श्रेणी : 5-3-इ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि ।						
बंजर / / .						
		17ख	0.0130	1405फ, भुनप0दुधलादयालवाला के प्रस्ताव दि.14-3-98 को अवास स्थल आवंटन उपजिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा दि.31-3-98 को स्वीकृति तथार0क0कार्यालय के परवाना के अनुसार निम्नलिखित अवंटियों का अवास हेतु निम्न प्रकार भूमि वितरित की गई		
	95म.		0.0280			
	129		0.0250			
	148ख		0.0760			
	149		0.1900	क्र0सं./नाम अवंटी/जाति/ख0न0/क्षे0 /प्लाट नं.1-रमेश पुत्र सुतसिंह बंजारा 130म 100वर्ग गज प्लाट नं.15, 2-सुखबीरसिंह पुत्र किसान बंजारा 130म 100वर्ग गज प्लाट नं. 8, 3-नजोसिंह पुत्र उमराव बंजारा 130म 100वर्ग गज		
	151		1.7330			
	160क		0.0760			
	167ख		0.0120	प्लाट नं. 14, 4-रामलाल पुत्र पटवारी बंजारा 130म 100वर्ग गजप्लाट नं. 13, 5-शेरपालत पुत्र मिश्रान बजारा 130म 100वर्ग गजप्लाट नं. 11, 6-भजनसिंह पुत्र मिश्रान बंजारा 130म 100वर्ग		
	169		0.0250			
	170		0.1390			
	171		0.2530			
	172		0.3290	प्लाट नं.12, 7-महीपालत पुत्र नकली बंजारा 130म 100वर्ग गज प्लाट नं.7, 8-छोटा पुत्र करतू बढई 130म 100वर्ग गज प्लाट नं. 16, 9-चरणसिंह पुत्र इन्दर बंजारा 130म 100वर्ग गज		
	174		0.0130			
	175		0.0760			
	176		0.0380	प्लाट नं. 17,10-रातसिंह पुत्र सिरिया बंजारा 130म 100वर्ग गजप्लाट नं. 5, 11-कशिपालत पुत्र झडिया बंजारा 130म 100वर्ग गजप्लाट नं. 1, 12-श्यामलालत पुत्र झडिया बंजारा 130म 100वर्ग		
	369ग		4.4130			
	370ग		24.0420			

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कार्यालय केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Up to: Thu Dec 07 13:48:57 IST 2023

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE: डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रती

ग्राम का नाम : दुधतरायलखवाला	परगना : (नबीबाबाद)	तहसील : हरिद्वार	जनपद : हरिद्वार	पंमाली वर्ष : 1427-1432	भाग : 1	खाता संख्या : 00224
					प्लॉट नं. 3, 37-नेहरू युवान्डल 130म 100वर्ग गज प्लॉट नं. 6 80से0अ0	1425स0 कार्यलय विनाधिकारी हरिद्वार के पत्र स0 323/ वि0भ0य0महा0, दिनांक 10.04.2018 एवं उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग म0-3 की अधिसूचना स0 185/XVIII(3)/2018- 02(72)/2017 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा उ0प्र0ब0वि0अधि0 1950 की धारा 117 (6) एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन विभागी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय-3 की धारा 4 (7) के प्रावधानों के अनुसार निहित वन अधिकार सभी हितधारकों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदान करते हुए किसी वन संग्रह अधिनियम 1980 के अंगीन अनुसरण इस अधिनियम में निर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में उपयोग करने की अपेक्षा वरमान मूल्य और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है, जस्ट उअस मिह नर के अनुरोध राष्ट्रीय राजमार्ग स0-74 के 239 कि0मी0 (सिमकोड) कैम्प रोड से शक्तिधर्म तक मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन हेतु ग्राम दुधतरायलखवाला परगना नवीचबद्ध में खस्ता स0 370 क्षेत्र0 24.042है0 बंगर भूमि को वर्गीकृत में विकास कार्यों के लिए पुनर्व्यवहार कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण को राज्यपाल द्वारा सहचर स्वीकृति प्रदान की गई है। ह0म0क026.04.2018 1429स0 कार्यलय विनाधिकारी हरिद्वार के पत्र स0 107/ वि0भ0य0महा0-2021 दिनांक 07.10.2021 के साथ संग्रह कार्यलय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के पत्रांक 1509/12-1, हरिद्वार दिनांक 15 सितंबर 2021 पर पारित तहसीलदार हरिद्वार के आदेश दिनांक 26.10.2021 के द्वारा वन प्रभाग को क्षतिक व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित निहित भूमि व्योक्तरपुर के खस्ता न0 18/3म रकबा 0.1770है0 खस्ता न0 26/2 रकबा 1.681है0 कुल 2 किलो क्षेत्रफल 1.8580है0 बंगर क्षेत्री 5(3)(ड) ग्राम तथा भूमि पी0एम0की0एम0का0 के अनुरोध महक निर्माण व ग्राम पैदाइशता से ग्राम नौगांवद में वन विभाग को भूमि दिए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है।

Data Updated UpTo: Thu Dec 07 13:48:57 IST 2023

Contents owned by Board of Revenue(Ultrahand)



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रती)

NOTE: डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रती

भाग: 1 खाता संख्या: 00224

फसली वर्ष: 1427-1432

जन्मद: हरिद्वार

तहसील: हरिद्वार

परगना: (नबीबाबाद)

ग्राम का नाम: दुधलादयालवाला

उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त ग्राम सभा गैण्डीखाता से निकटवर्ती ग्राम सभा दुधलादयालवाला खसरा सं० 369ग में रकबाई 1.1348है० बंजर भूमि श्रेणी 5(3)(ड) वन विभाग को दिए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है।
ह०र०का०/27.10.2021

1430फ० कार्यालय जिलाधिकारी / कलेक्टर, हरिद्वार के पत्र संख्या-998 / जि०भू०व्य०महा०- 2023 दिनांक 23.03.2023 में दिनांक 23.03.2023 को आदेश हुआ कि अधिवासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्र संख्या-984/ पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख० दे०दून दिनांक 29 अगस्त, 2022 एवं असीक्षण अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त, लो०नि०वि०, मसूरी के पत्र संख्या 2955 / 14याता- पी०एम०जी०एस०वाई०/22 दिनांक 12.12.2022 के जन्मद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादुराबाद में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य गैण्डीखाता से नौराबाद में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु दोगुने क्षेत्रफल 3.206है० के साथै शेष भूमि 0.2132है० सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का असुरोध किया गया है। कार्यालय के आदेश संख्या-205 / जि०भू०व्य०महा०-2021 दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के द्वारा वन विभाग की 1.603है० भूमि के बदले ग्राम बसोचन्दपुर के ख०न०-18/3म रकबा 0.177है०, ख०न०-26/2 रकबा 1.681है० कुल 02 किते क्षेत्र- 1.858है० एवं ग्राम सभा दुधलादयालवाला ख०स० 369ग में रकबा 1.1348है० कुल 2.9928है० भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जा चुकी है। प्रकरण में उप जिलाधिकारी हरिद्वार से आख्या प्राप्त की गई। उप जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या संख्या-1227 / वरी०वै०महा०-30जि०ह०/2022-23 दिनांक 03 फरवरी, 2023 एवं आख्या संख्या-1661/ वरी०वै०महा०-30जि०ह० / 2022-23 दिनांक 17 मार्च, 2023 में वर्णित किया गया है कि ग्राम गैण्डीखाता से नौराबाद में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु दोगुने क्षेत्रफल 3.206है० की सिविल भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ग्राम बसोचन्दपुर व ग्राम दुधलादयालवाला में कुल 2.9928है० भूमि का हस्तान्तरण के उपरान्त वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदराज हो चुका है। वर्तमान में सिविल सोयम ग्राम सभा की भूमि वन विभाग के पक्ष में 0.2132है० भूमि हस्तान्तरण

Disclaimer: उक्त ऑफिके मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कार्यालय केन्द्र में उद्योग की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated Upto: Thu Dec 07 13:48:57 IST 2023

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रती)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रती

ग्राम का नाम : दुधलादयालवाला परगना : (नबीबाबाद) तहसील : हरिद्वार जनपद : हरिद्वार फसली वर्ष : 1427-1432 भाग : 1 खाता संख्या : 00224

होना शेष है। ग्राम दुधलादयालवाला परगना नबीबाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा संख्या-369ग का कुल क्षेत्रफल 4.4130है0 है, जिसमें से पूर्व में 1.1348है0 भूमि पूर्व में वन विभाग को हस्तान्तरण की जा चुकी है। वर्तमान में खसरा संख्या-369ग में शेष भूमि 3.2782है0 में से क्षतिपूर्ति हेतु 0.2132है0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु आख्या उपलब्ध कराई गई है। प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 20 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र संख्या-08बी / यू.सी.पी./06/227/2016/एफ0सी0/2301 दिनांक 27.02.2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गैडीखाल से नौरगाबाद मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.603है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की आख्या दिनांक 03 फरवरी, 2023 तथा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आधार पर वन विभाग की 1.603है0 प्रत्यवर्तित भूमि के बदले ग्राम सभा दुधलादयालवाला के खसरा-369ग की शेष बची भूमि 3.2782है0 में से क्षतिपूर्ति हेतु 0.2132है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है। ह0र0का0/02.05.2023

योग

17 31.4810

Disclaimer: उक्त ऑफ़र मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रती प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated Upto: Thu Dec 07 13:48 57 IST 2023

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

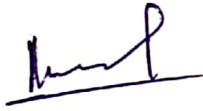
Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)



परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा का प्रमाण पत्र

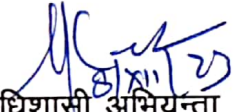
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के निर्माण कार्य पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। (ऑनलाईन चालान की प्रति संलग्न)



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

एन०पी०वी० की धनराशि जमा का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के वन प्रकरण पर भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। (ऑनलाईन चालान की प्रति संलग्न)



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

संलग्नक-02 'र'
स्व-02 'बी'

S.No.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	PP/UK/ROAD/10049/2015 Sauri Srauli Alhandhwall Bhiliang Link Motor Road	ROAD100492015397	6110049397	03 Jul 2018	CA: 1922785/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1922785/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On: 28 Jun 2019 Transaction Date : 11 Jul 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61100492015397) Generated Challan (./UserAccount/Nett_ChallanCorpa.aspx?pid=ROAD100492015397)
2	PP/UK/ROAD/10032/2015 Maldevata- Sherashila Motor Road to Bheshwargan Road	ROAD100322015504	6110032504	20 Sep 2019	CA: 5129064/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5129064/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On: 22 Nov 2019 Transaction Date : 06 Jan 2020	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/6110032504201511-2019_1.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Nett_ChallanCorpa.aspx?pid=ROAD100322015504)
3	PP/UK/ROAD/12985/2015 Chindilata to Puravargan Motor Road	ROAD129852015467	6112985467	27 Feb 2019	CA: 982734/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 982734/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On: 18 Jul 2019 Transaction Date : 01 Aug 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61129852015467) Generated Challan (./UserAccount/Nett_ChallanCorpa.aspx?pid=ROAD129852015467)
4	PP/UK/ROAD/10049/2015 Sauri Srauli Alhandhwall Bhiliang Link Motor Road	ROAD100492015397	6110049397	03 Jul 2018	CA: 1922785/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1922785/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On: 28 Jun 2019 Transaction Date : 11 Jul 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61100492015397) Generated Challan (./UserAccount/Nett_ChallanCorpa.aspx?pid=ROAD100492015397)
5	PP/UK/ROAD/10049/2015 Sauri Srauli Alhandhwall Bhiliang Link Motor Road	ROAD100492015521	6110049521	03 Jul 2018	CA: 1922785/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1922785/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On: 05 Sep 2018 Transaction Date : 24 Oct 2018	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61100492015521) Generated Challan (./UserAccount/Nett_ChallanCorpa.aspx?pid=ROAD100492015521)

परियोजना का नाम:— जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र

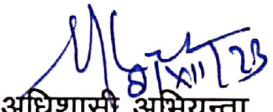
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के वन प्रकरण पर शुद्ध वर्तमान मूल्य के दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि इस अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर Strip

Plantation की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र।

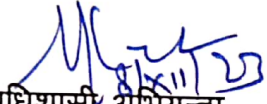
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के वन प्रकरण पर सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



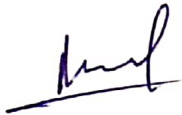
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-1

परियोजना का नाम:-जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

वन भूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) पर वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होने पर बढी दरों पर एन०पी०वी० देने का प्रमाण पत्र

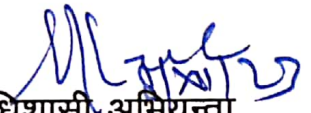
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के वन प्रकरण पर यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन०पी०वी० देने के लिए वचनबद्ध होगा।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

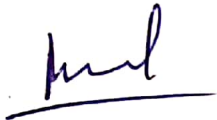


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम भूमि को वन संरक्षित घोषित करा दिया गया है। (शासनादेश की प्रति संलग्न)



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3
संख्या- 140/X-3-23/14(02)/2021
देहरादून: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजार्थ चिड़ियापुर रेंज के अन्तर्गत सबलगढ़ कक्ष संख्या 6 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण (गैण्डीखाता से नौरंगाबाद) हेतु गैर वानिकी कार्य के लिये हस्तान्तरित 1.603 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-5(3)ड० (अन्य कृषि योग्य बंजर) के 03.206 है० क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं :-

तालिका

जालंधर							
क्र०सं०	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
1.	हरिद्वार	बसोचन्दपुर	—	18 / 3म	0.177	1.858	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०
				26 / 2	1.681		
2.		दुधलादयालवाला	—	369(ग)	1.1348	1.348	
					0.2132		
योग—						3.206	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
खसरा संख्या 18/3म	Longitude	Latitude
1	29°44' 37.50" N	78°12' 31.88" E
2	29°44' 36.19" N	78°12' 31.15" E
3	29°44' 36.63" N	78°12' 29.83" E
4	29°44' 37.97" N	78°12' 30.51" E
खसरा संख्या 26/2		
1	29°44' 42.37" N	78°12' 30.33" E
2	29°44' 43.87" N	78°12' 25.97" E
3	29°44' 39.67" N	78°12' 24.42" E
4	29°44' 38.26" N	78°12' 28.78" E

खसरा संख्या 369(ग)म (भाग-प्रथम) दुधलादयालवाला		
1	29°47' 3.68" N	78°12' 0.82" E
2	29°47' 2.29" N	78°11' 57.67" E
3	29°46' 58.60"N	78°11' 59.79" E
4	29°47' 0.13" N	78°12' 2.59" E
खसरा संख्या 369(ग)म (भाग-द्वितीय) दुधलादयालवाला		
1	29°47' 3.68" N	78°12' 0.82" E
2	29°47' 4.37" N	78°12' 2.22" E
3	29°47' 2.93"N	78°12' 2.94" E
4	29°47' 2.19" N	78°12' 1.59" E

(कहकशां नसीम)

Signed by Kahkashan
Naseem

अपर सचिव

Date: 13-10-2023 10:33:06

संख्या:- 1401 / X-3-23/14(02)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. उप-वन संरक्षक, हरिद्वार, वन प्रभाग, हरिद्वार।
9. उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash
Singh

Date: 16-10-2023 16:28:48

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification...../..... Dehradun, dated..... for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section- 03
File No. 140/X-3-23/14(02)/2021
Dehradun Date- 17 October, 2023

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 5(3)d land (for other agricultural use barren land) total 03.206 hectare, as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Dehradun to the forest department for compensatory plantation against the 1.603 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of road from Gairdikhata to Naurangaba under Pradhanmantri Gram Sadak Yojna in District Haridwar, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Table							Category of Land
Sr. No.	District	Village	Khata Number	Khasara Number		Total area acquired (in Hectares)	
				No.	Area (Hectares)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Haridwar	Basochandpur	-	18/3M	0.177	1.858	Uttarakhand Government Category-5(3)d
				26/2	1.681		
Dudhaladayalwala		-	369(G)	1.1348	1.348		
				0.2132			
Total :-						3.206	

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

Part- 2 Boundary details

The details of the proposed boundary pillars (including G.P.S. locations) for the demarcation of the plantation area are as following.

Co-ordinates of Plantation Site		
Khasra 18/3M	Longitude	Latitude
1	29°44' 37.50" N	78°12' 31.88" E
2	29°44' 36.19" N	78°12' 31.15" E
3	29°44' 36.63" N	78°12' 29.83" E
4	29°44' 37.97" N	78°12' 30.51" E
Khasra 26/2		
1	29°44' 42.37" N	78°12' 30.33" E
2	29°44' 43.87" N	78°12' 25.97" E
3	29°44' 39.67" N	78°12' 24.42" E
4	29°44' 38.26" N	78°12' 28.78" E
Khasra 369 (G) M (Part-I) Dudhaladayalwala		
1	29°47' 3.68" N	78°12' 0.82" E
2	29°47' 2.29" N	78°11' 57.67" E
3	29°46' 58.60" N	78°11' 59.79" E
4	29°47' 0.13" N	78°12' 2.59" E

/2023

Khasra 369 (G) M (Part-I) Dudhaladnyalwala		
1	29°47' 3.68" N	78°12' 0.82" E
2	29°47' 4.37" N	78°12' 2.22" E
3	29°47' 2.93" N	78°12' 2.94" E
4	29°47' 2.19" N	78°12' 1.59" E

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

(Kahkashan Naseem)

Additional Secretary.

Copy:- Sent to the following for information and action.

1. Inspector General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor Bagh Road, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
4. Additional Chief Conservator of Forests/ Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
5. Commissioner, Garhwal Zone, Uttarakhand.
6. Conservator of Forests, Garhwal Circle, Uttarakhand, Pauri.
7. District Magistrate, Haridwar.
8. Deputy Conservator of forest, Haridwar Forest Division, Haridwar.
9. Sub Divisional Magistrate, Haridwar.
10. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section- (B) part-4 of the general Gazette.
11. N.I.C. Secretariate Campus.
12. Guard File.

Signed by Satya Prakash Singh

Date: 16-10-2023 16:28:27

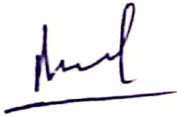
By Orders

(Satya Prakash Singh)
Deputy Secretary.

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

वन क्षेत्र के आस-पास लेबर कैम्प न लगाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

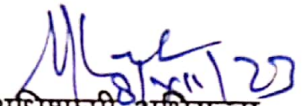
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के वनभूमि पर कोई भी लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



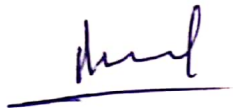
अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

वनभूमि का चार फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करने की वचनबद्धता का

प्रमाण पत्र

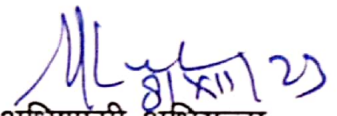
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) पर वनभूमि का चार फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन कर Forward एवं Back bearing अंकित करने की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

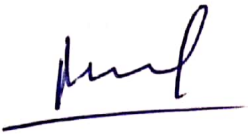


अधिसाक्षी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

परियोजना में कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन की आपूर्ति कराये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

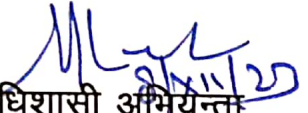
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन की आपूर्ति कराये जाने की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

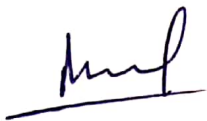


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं वन्य जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

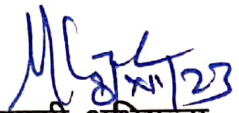
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के दौरान परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं वन्य जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाये जाने की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

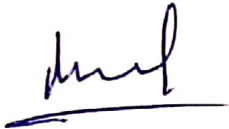


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु न किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

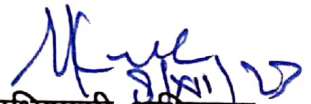
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) पर वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) पर कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किये जाने जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 29 से अधिक न हो की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



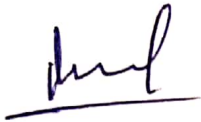
अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर Strip

Plantation की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र।

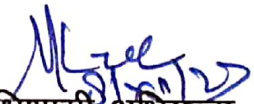
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के वन प्रकरण पर सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation कराये जाने की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

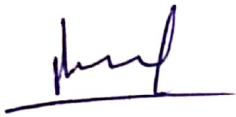


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

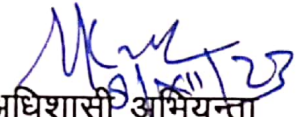
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के दौरान परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश की अनुमति लेने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

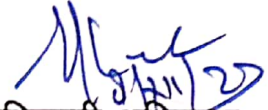
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के दौरान यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशर्सी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:— जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.320 कि०मी०)

ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

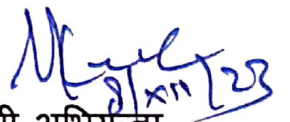
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.320 कि०मी०) के दौरान ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे की वचनबद्धता की जाती है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून